न्यायालय तहसीलदार बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : रमेश कुमार

स्व आवेदन सं. **268/2022**

प्रार्थी— बनाम विप्रार्थी—

राज्य सरकार जरिये
पटवारी महाबार

राणाराम पुत्र उगराराम मेघवाल
निवासी मिये का तला

राजस्व आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितिः— 1. प्रार्थी — पटवारी हल्का महाबार।
2. विप्रार्थी — अधिवक्ता श्री केसाराम चौधरी।

निर्णय

दिनांक 27.01.2023

1. इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य यह है कि पटवारी हल्का महाबार द्वारा 19.10.2022 को रिपोर्ट पेश कर अवगत करवाया कि विप्रार्थी द्वारा संवंत 2079 के दौरान ग्राम महाबार के खसरा नम्बर 3321/244 रकबा 8.0937हैक्ट किस्म बा.दो. भूमि में से 525 वर्गमीटर भूमि पर अवैध कब्जा एवं अतिक्रमण किया गया है, जिसके विरूद्व नियमानुसार कार्यवाही की जावें। पटवारी हल्का द्वारा विप्रार्थी के विरूद्व प्रस्तुत रिपोर्ट पर प्रकरण अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थी को जरिये नोटिस जवाब हेतु तलब किया गया। विप्रार्थी का नोटिस बाद तामिल होकर प्राप्त। विप्रार्थी की ओर से प्रकरण में पैरवी करने हेतु अधिवक्ता श्री केसाराम चौधरी द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत किया गया। वकील विप्रार्थी को जवाब पेश करने के पर्याप्त अवसर प्रदान किए गए लेकिन उनके द्वारा प्रकरण में जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया, अतः जवाब बन्द किया जाता है। लिहाजा प्रकरण में विप्रार्थी के खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत बयान अनुसार उक्त खसरा संख्या 3321/244 की भूमि राजकीय भूमि है एवं उक्त भूमि पर विप्रार्थी द्वारा अनधिकृत कब्जा किया गया जो कि हटाया जाना उचित है।
2. हमने हल्का पटवारी की रिपोर्ट, विवादित भूमि के राजस्व रेकर्ड एवं हल्का पटवारी के बयान का अवलोकन किया। हल्का पटवारी के बयान अनुसार उक्त खसरा संख्या 3321/244 की भूमि राजकीय भूमि है जिससे ये साबित होता है कि विप्रार्थी ने राजकीय भूमि पर अवैध कब्जा कर अतिक्रमण किया है।

अतः विप्रार्थी को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत अतिक्रमी घोषित किया जाकर मुतनाजा भूमि का वार्षिक लगान दर रूपये 0.06 का 50 गुणा रूपये 3/– (अक्षरे तीन रूपये) जुर्माना आरोपित किया जाता है साथ ही विप्रार्थी को अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने के आदेश पारित किये जाते है।

4. भू–अभिलेख निरीक्षक गरल एवं पटवारी महाबार को निर्देशित किया जाता हैं कि विप्रार्थी को उक्त सरकारी भूमि से बेदखल कर जुर्माना राशि वसूलते हुए उक्त राशि राजकोष में जमा करावे। भू–अभिलेख निरीक्षक, पटवारी हल्का तथा तहसील राजस्व लेखाकार तहसील हाजा निर्णय से सूचित हो। मिसल बाद तामिल फैसल शुमार होकर नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

5. निर्णय आज दिनांक 27.01.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रमेश कुमार)
तहसीलदार बाड़मेर